# –: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 26/2021

उनवान

1. उमेश कुमार
2. कौशल कुमार
3. प्रेम कुमार पि. भोला शंकर समसत जाति अहीर निवासी सुतरखाना, नसीराबाद

——वादीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. उषा भाकर पत्नी नवीन
2. रिंकू पुत्र नवीन
3. सुमन भाकर
4. कीर्ति भाकर पुत्रीयॉ नवीन जाति जाट निवासी जाट मौहल्ला, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :– 1 से 4 अनुपस्थित
5 जरियें राज. पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

---

–: निर्णय :–   दिनांक :–2.1.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.03 किस्म गै.मु. रास्ता प्रतिवादीगण की व हाल खसरा नम्बर 1107, 1108 वादीगण की खातेदारी की है जिस पर वादीगण काबिज है। खसरा नम्बर 1135 राजस्व अभिलेख व मौके पर रास्ता है, जिसका उपयोग रास्ते के रूप में किया जा रहा है। हाल खसरा नम्बर 1135 के पुराने खसरा नम्बर 998 है, जो राजस्व मानचित्र व मौके के अनुसार सही स्थित था। हाल राजस्व मानचित्र में उक्त रास्ते के रकबे को बडा दर्शित करते हुये वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1675/1105 व 1678/1106 का रकबा कम कर दिया। वादीगण के खातेदारी का रकबा खसरा नम्बर 1135 में सम्मिलित कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण [illegible] यम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद [illegible] तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.03 किस्म गै.मु. रास्ता प्रतिवादीगण की व हाल खसरा नम्बर 1675/1105, 1678/1106, 1107 व 1108 वादीगण की खातेदारी की है हाल खसरा नम्बर 1135 के पुराने खसरा नम्बर 998 है, जो राजस्व मानचित्र व मौके के अनुसार सही स्थित था। हाल राजस्व मानचित्र में उक्त रास्ते के रकबे को बडा दर्शित कर दिया है। वादीगण की खातेदारी का पुराना खसरा नम्बर 999 है। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वाद के खण्डन में कोई जवाब पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा के वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन व तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया हैं आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने से खातेदारी अधिकार व भूमि के रकबे पर कोई परिवर्तन नही होना है। राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 1135, 1675/1105, 1678/1106, 1107 व 1108 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

**उनवान**

रिंकू बनाम उषा

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 26/2021
पेश करने की दिनांक – 22.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 1135, 1675/1105, 1678/1106, 1107 व 1108 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह सन् **2024** को जारी की गयी।

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>फीस कमिश्नर<br>खर्चा गवाहान<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक |
| मिजान | मिजान |

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested